

अध्याय ३

लेन – देनों की लेरवापरीक्षा अभ्युक्तियां

3 लेन – देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

राज्य सरकारी कंपनियों के संपादनों की नमूना - जांच में पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में शामिल है।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.1 अधिक व्यय

कार्य की पुनः निविदा के कारण ₹ 1.61 करोड़ राशि का अधिक व्यय किया गया था।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम (कंपनी) के पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) की यूनिट - II के हॉपर्स तथा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपीटेटर (ई.एस.पी.)¹ का एक पार्ट (पास-बी) 8 नवंबर 2011 को क्षतिग्रस्त हो गया था। यूनिट तीन दिनों तक पूरी तरह से बंद रही। ई.एस.पी. के केवल एक पार्ट (पास-ए) पर निर्भर होने के कारण इसको केवल आंशिक भार पर ही चालू किया जा सका। क्योंकि कंपनी भारी उत्पादन हानि से गुजर रही थी, कंपनी ने ₹ 10 करोड़ की अनुमानित लागत पर क्षतिग्रस्त ई.एस.पी. की मरम्मत करने के लिए एक अल्पावधि का निविदा आमंत्रण नोटिस जारी (6 दिसंबर 2011) किया। कंपनी को 2 जनवरी 2012 तक दो निवेदन प्राप्त हुए थे। तकनीकी बोलियां 2 जनवरी 2012 को खोली गई थी तथा वित्तीय बोलियां 3 जनवरी 2012 को खोली गई थी। ₹ 7.32 करोड़ (₹ 6.97 करोड़ + कर) उद्धृत दर पर एल.-1 का प्रस्ताव 2 मई 2012 तक वैध था। स्टोर क्रेता कमेटी (एस.पी.सी.) /पी.टी.पी.एस. - I से मोल - भाव के दौरान 6 जनवरी 2012 को फर्म ने अपने पूर्ववर्ती उद्धृत दर को संशोधित कर के ₹ 7.11 करोड़ (₹ 6.77 करोड़ + कर) उद्धृत किया। एस.पी.सी. ने कार्य सौंपने के अनुमोदन के लिए इस मामले को निदेशक मंडल (बी.ओ.डीज) को अनुशंसित (9 जनवरी 2012) कर दिया। तथापि, पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटी.डीज) ने निर्णय (20 जनवरी 2012) लिया कि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड (भेल) से प्रस्ताव लेने के बाद ही दरों का सही जस्टिफिकेशन के साथ प्राक्कलन किया जाए तथा नई एन.आई.टी. जारी की जाए।

तदनुसार, एक नई लघु अवधि एन.आई.टी. (4 फरवरी 2012) जारी की गई थी। चार बोलीकर्त्ताओं ने कार्य करने का प्रस्ताव रखा। भेल द्वारा प्रस्तावित कुछ नियम एवं शर्तें एन.आई.टी. के अनुसार नहीं थी। दो योग्य बोलीकर्त्ताओं में से, जो फर्म दिसंबर 2011 की निविदा - जांच में एल.-1 थी पुनः ₹ 10.13 करोड़ (₹ 9.54 करोड़ + कर) की अपनी उद्धृत दरों के साथ एल.-1 के तौर पर उभरी।

¹ ये अत्यन्त प्रभावशाली छन्नक उपकरण होते हैं जो उपकरण में गैस - प्रवाह को बाधित नहीं करते हैं तथा धूल और धुएं जैसे सूक्ष्म तत्व - कणों को वायु - प्रवाह से आसानी से पृथक कर देते हैं।

कंपनी ने ₹ 7.11 करोड़ पर दिसंबर 2011 के लिए उद्धृत पूर्ववर्ती प्रस्ताव के आधार पर इस एल.-1 फर्म को एक मांग-पत्र (एल.ओ.आई.) जारी (22 मार्च 2012) किया। फर्म ने कंपनी को सूचित (22 मार्च 2012) किया कि इसके दिसंबर 2011 के पूर्ववर्ती प्रस्ताव की वैधता निरर्थक हो गई थी क्योंकि उसी कार्य के लिए दोबारा से निविदाएं आमंत्रित की गई थी तथा 22 मार्च 2012 को दिए गए मांग-पत्र को वापस लेने के लिए कंपनी को प्रार्थना की। तथापि, कंपनी ने फर्म को कार्य आदेश जारी (23 मार्च 2012) किए। कंपनी ने मांग-पत्र वापस लेने के लिए पुनः अनुरोध किया (24 मार्च 2012) क्योंकि मांग-पत्र पर इसकी सहमति के बिना कार्य आदेश जारी करने की कोई वैधता नहीं थी। कंपनी ने फर्म को उसके जोखिम तथा लागत पर काम करवाने के लिए अधिसूचना जारी (अप्रैल 2012) की तथा दिसंबर 2011 और फरवरी 2012 के एन.आई.टीज में जो फर्म एल-2 थी, उसको दिसंबर 2011 की निविदा जांच में इसके द्वारा उद्धृत (₹ 8.43 करोड़ + कर) दरों पर कार्य-आदेश जारी कर दिए (अप्रैल 2012)। ई.एस.पी. 10 अक्टूबर 2013 को चालू कर दिया गया।

आडिट ने अवलोकित (जनवरी 2014) किया कि विस्तृत एस्टीमेट (फरवरी 2012) के आधार पर कंपनी ने ₹ 7.75 करोड़ की लागत का अनुमान किया था। क्योंकि विस्तृत अनुमान (₹ 7.75 करोड़) की तुलना में पूर्ववर्ती टी.ई. (दिसंबर 2011) में प्राप्त दर (₹ 7.11 करोड़) कम्पीटीटिव थी, कंपनी को पुनः निविदा आमंत्रित नहीं करनी चाहिए थी। इस प्रकार, कंपनी के पुनः निविदा आमंत्रित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप 13 महीनों की कार्य के क्रियान्वयन में देरी के अतिरिक्त करों को निकाल कर ₹ 1.61 करोड़ (₹ 8.38 करोड़² - ₹ 6.77 करोड़) की उपकरणों की मरम्मत में उच्च लागत लगी।

प्रबंधन ने बताया (मई 2014) कि दिसंबर 2011 तथा फरवरी 2012 की निविदा जांच में उभरी एल.-1 फर्म, द्वारा कांट्रैक्ट के उल्लंघन के परिणामस्वरूप सभी दावे, कानून के अनुसार उठाए जाने थे। उत्तर सुसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी ने जब यह देखा (4 फरवरी 2012) कि उपलब्ध प्रस्ताव कम्पीटीटिव था तथा अनुमानों से काफी कम था तो उसे पुनः निविदा नहीं करनी चाहिए थी।

मामला सरकार (जुलाई 2014) को भेज दिया गया था किंतु उनका उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) था।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.2 ब्याज की हानि

हिसार में कंपनी के मुख्य खाते में फील्ड शाखाओं द्वारा निधियों के विलंबित ट्रांसफर के कारण ₹ 82.86 लाख के ब्याज की हानि थी।

वर्ष 2000 से ही कंपनी की क्लैकशन व्यवस्थाएं स्टेट बैंक आफ पटियाला (एस.बी.ओ.पी.) के साथ थी। व्यवस्था के अंतर्गत, टैलीग्राफिक ट्रांसफरों (टी.टीज) द्वारा मैनुअली रूप से नियमित

² फर्म ने ₹ 8.43 करोड़ की अनुबंधित राशि के विरुद्ध ₹ 8.38 करोड़ के बिल प्रस्तुत किए थे (मई 2014)।

अंतराल पर फील्ड बैंक शाखाएं अपने पास जमा निधियों को हिसार की मुख्य शाखा पर ट्रांसफर कर रही थी। कंपनी ने एस.बी.ओ.पी. की विभिन्न शाखाओं में जमा राशि तथा हिसार में एस.बी.ओ.पी. की मुख्य शाखा में ट्रांसफर हुई राशि के मिलान के लिए एक एजेंट नियुक्त (27 अक्टूबर 2003) किया।

जुलाई 2003 से सितंबर 2005 के दौरान एस.बी.ओ.पी. की पांच शाखाओं³ में कंपनी की विभिन्न यूनिटों द्वारा जमा राशि का ₹ 1.24 करोड़ ट्रांसफर नहीं हुआ था। मिलान के लिए नियुक्त एजेंट ने यह इंगित नहीं किया था। कंपनी ने इसे अप्रैल 2010 में अवलोकित किया तथा अंततः यह राशि हिसार में एस.बी.ओ.पी. की मुख्य शाखा के कंपनी के अकाउंट में मार्च 2011 से जून 2012 के दौरान जमा कराई गई थी। इस प्रकार, कंपनी 65 से 102 महीनों के रेंज की अवधि के लिए ये निधियां प्रयोग नहीं कर पाई।

कंपनी ने बैंकिंग लोकपाल के पास बैंक द्वारा निधियों के विलंबित ट्रांसफर के लिए एक ब्याज दावा प्रस्तुत (मई 2012) किया जिसने इस मामले को 'टाइम-बार्ड' बताते हुए खारिज कर दिया (मई 2012)। कंपनी ने बैंक के हैंड आफिस के साथ भी मामलों को (जून 2012) उठाया जिसने बताया (जुलाई 2012) कि जैसे ही प्रार्थना प्राप्त हुई थी, डुप्लीकेट डी.डी.ज जारी कर दिए गए थे।

आडिट ने अवलोकित (मार्च 2012) किया कि कंपनी में आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की कमी थी। इसने न तो नियमित रूप से रिकानसिलियेशन एजेंट के कार्य और उसके रिपोर्ट मानीटर किए थे न ही हिसार की मुख्य शाखा तथा फील्ड शाखाओं के बैंक खातों की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की थी कि फील्ड शाखाओं में जमा राशि इसके मुख्य खाते में जमा कर दी गई थी। कंपनी बैंकिंग लोकपाल के पास देरी से पहुंची जिसके फलस्वरूप उसने दावा स्वीकार नहीं किया। परिणामस्वरूप निधियों के विलंबित ट्रांसफर के कारण बैंक से ₹ 82.86 लाख का ब्याज वसूलने का अवसर कंपनी ने खो दिया।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि भारी मात्रा में काम होने के कारण तथा स्टाफ की भारी कमी होने के कारण प्रत्येक एंट्री की चैकिंग संभव नहीं थी और शुरूआत से ही रिकानसिलिएशन एजेंसी की रिपोर्टों की चैकिंग तथा बैंक खातों की मानीटरिंग के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी अपने वित्तीय हितों के लिए रिकानसिलिएशन एजेंट के आउटसोर्सड कार्य की मानीटरिंग के लिए भी जिम्मेदार थी।

मामला सरकार (मई 2014) को भेज दिया गया था किंतु उनके उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) थे।

³

जुई, भिवानी, नेकीपुर - धिगावा, नारनौल तथा होडल।

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र

3.3 हरियाणा में विद्युत का क्रय और विक्रय

एच.पी.पी.सी. ने एच.पी.जी.सी.एल. को ₹ 755.91 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया तथा साफ्ट पेनलटी नार्मस, विद्युत क्रय अनुबंधों में दोषपूर्ण क्लाजिज तथा लघु अवधि विद्युत क्रय के अंतिमकरण में देरी के कारण ₹ 165.26 करोड़ की हानि हुई। विद्युत की उपलब्धता में कमियां एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से ऊंची दरों पर लघु अवधि तथा यू.आई. विद्युत खरीद कर पूरी की गई जिसने डिस्कोमस पर ₹ 2,095.27 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला।

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र (एच.पी.पी.सी.) को डिस्कोमस (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) के लिए थोक में विद्युत क्रय करने (राज्य⁴ के भीतर तथा अंतर्राज्यीय⁵ दोनों) तथा थोक में आपूर्ति क्रियाओं के प्रबंधन हेतु स्थापित किया गया (अप्रैल 2008) था। वर्तमान लेखापरीक्षा 2008-09 से 2013-14 तक की अवधि के लिए है। 2008-14 के दौरान एच.पी.पी.सी. द्वारा उपलब्ध करवाई गई स्रोतवार विद्युत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई हैं:

तालिका 3.1

स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	यूनिट्स (एम.यू.ज)					
एच.पी.जी.सी.एल.	12,446	13,723	14,323	17,139	13,813	12,168
सी.पी.एस.यू.	9,799	10,979	11,283	11,005	10,413	9,158
शेयरड (बी.बी.एम.बी., आई.जी.एस.टी.पी.एस.)	3,388	2,799	3,212	4,624	5,083	4,543
गैर - पारंपरिक	0	0	0	93	111	175
स्वतंत्र विद्युत उत्पादक	0	0	0	1,394	7,707	19,130
लघु अवधि विद्युत	1,460	3,812	2,420	1,948	1,613	1,840
अन - अनुसूचित अंतः प्रभार	1,436	2,246	3,306	2,192	1,374	293
खरीदी गई कुल विद्युत	28,529	33,559	34,544	38,395	40,114	47,307

- i. एच.ई.आर.सी. विनियमन 2008 की अनुपालना न करने के कारण नियत लागत का अधिक भुगतान

एच.ई.आर.सी. (उत्पादन टैरिफ निश्चित करने हेतु शर्तें एवं निबंधन) विनियमन - 2008 दो भागों में टैरिफ को निश्चित करने हेतु प्रावधान करता है (i) क्षमता/नियत प्रभार तथा (ii) ऊर्जा/परिवर्तनशील प्रभार। वार्षिक क्षमता प्रभार (नियत लागत) की वसूली, संबंधित जैनेरेटिंग स्टेशन के लिए अनुमोदित प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) के मानदंड से संबंधित है अर्थात् संपूर्ण नियत लागत सामान्य पी.एल.एफ. पर वसूली जाती है। अनुमोदित पी.एल.एफ. से कम क्षमता (नियत) - प्रभारों की वसूली प्रो-रेटा आधार पर होगी। शून्य उपलब्धता पर कोई

⁴

हरियाणा में स्थित उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की खरीद।

⁵

हरियाणा से बाहर स्थित उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की खरीद।

क्षमता प्रभार देय नहीं होंगे। एच.पी.पी.सी., टैरिफ के नियत दर पर हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) से, नियत और परिवर्तनशील लागत दोनों से गठित सिंगल पार्ट टैरिफ पर ही विद्युत खरीद रहा था। जो इस तथ्य से असंबंधित था कि उत्पादन सामान्य पी.एल.एफ. से कम था या इससे अधिक था। इस कारण नियत लागत, सामान्य पी.एल.एफ. से अधिक उत्पादन के लिए वसूली जा रही थी।

हमने देखा कि पानीपत थर्मल विद्युत स्टेशन (पी.टी.पी.एस.), पानीपत के यूनिट V से VIII तक में 2008-09 से 2010-11 (2009-10 में यूनिट V के अतिरिक्त) के दौरान तथा दीनबंधु छोटु राम थर्मल विद्युत प्लांट (डी.सी.आर.टी.पी.पी.), यमुनानगर के यूनिट I तथा II में 2009-10 और 2010-11 के दौरान वास्तविक पी.एल.एफ. एच.ई.आर.सी. से अनुमोदित सामान्य पी.एल.एफ. से अधिक थे। इससे एच.पी.जी.सी.एल. को ₹ 265.14 करोड़ की नियत लागत का अधिक भुगतान परिणामित हुआ।

प्रबंधन ने कहा कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए एच.पी.पी.सी. ने एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों पर ही एच.पी.जी.सी.एल. को विद्युत हेतु भुगतान किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विनियमन-2008 यद्यपि दो भागों में टैरिफ की प्रयुक्तता निर्धारित करती है परंतु एच.पी.पी.सी./डिस्कोमज ने सिंगल पार्ट टैरिफ के अंतर्गत एच.पी.जी.सी.एल. से विद्युत प्राप्त करना जारी रखा, जिससे नियत लागत का भुगतान सामान्य पी.एल.एफ. से अधिक उत्पादन पर भी होता रहा। इस प्रकार यद्यपि डिस्कोमज तथा तदनुसार उपभोक्ता नुकसान में रख दिए गए थे, फिर भी उन्होंने एपटेल में इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील दर्ज नहीं की थी। लेरवापरीक्षा ने देखा कि सिंगल पार्ट टैरिफ के अंतर्गत डिस्कोमज को और इस कारण उपभोक्ताओं को ₹ 265.14 करोड़ का अधिक भुगतान करना पड़ा था।

एच.पी.जी.सी.एल. के विभिन्न उत्पादन करने वाले यूनिटों के संबंध में पी.एल.एफ. के संशोधन हेतु, वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लिए एच.पी.जी.सी.एल., एच.ई.आर.सी. टैरिफ आदेशों के विरुद्ध एपलिट ट्रिब्यूनल फोर इलैक्ट्रीसिटी (एपटेल) के पास गई। एपटेल ने वर्ष 2011-12 के लिए एच.पी.जी.सी.एल. की अपील रद्द कर दी (मई 2012)। तथापि, एपटेल ने वर्ष 2012-13 के लिए पी.एल.एफ. संशोधित कर दी (दिसंबर 2012) जैसा कि परिशिष्ट - 5 में विवरण दिया गया है।

हमने पुनः देखा (मई 2014) कि 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान उस मामले में जहां वास्तविक पी.एल.एफ., एच.ई.आर.सी./एपटेल द्वारा अनुमोदित सामान्य पी.एल.एफ. की अपेक्षा कम थी, क्षमता प्रभार/नियत लागत यथानुपात आधार पर कम नहीं की गई थी तथा जहां पर यह मानकों से अधिक थी, इसे एच.ई.आर.सी./एपटेल द्वारा अनुमोदित पी.एल.एफ. तक प्रतिबंधित नहीं किया गया था। इससे ₹ 331.21 करोड़ का अधिक भुगतान परिगणित हुआ, जैसा कि परिशिष्ट - 5 में दर्शाया गया है।

प्रबंधन ने बताया कि यदि वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन से अधिक हो तो एच.ई.आर.सी. विनियमन में नियत प्रभारों के भुगतान, के बारे में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं था और इसलिए नियत प्रभारों/क्षमता प्रभारों का भुगतान एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा आपूरित वास्तविक ऊर्जा के आधार पर किया गया। जहां वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन से कम था, वहां भुगतान स्वयं यथानुपात आधार पर कम हो जाना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच.ई.आर.सी. विनियमन-2008, 80 प्रतिशत पर विद्युत प्लांट की लक्ष्य उपलब्धता निर्धारित करती है क्योंकि नियत लागत इस अनुमोदित सामान्य उपलब्धता पर पूर्ण रूप से वसूल हो जाती है। सामान्य उपलब्धता/पी.एल.एफ. से अधिक नियत प्रभारों की वसूली न्याय संगत नहीं है। यह तर्क कि नियत प्रभारों/क्षमता प्रभारों का भुगतान उस मामले में जहां वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन से कम था, यथानुपात आधार पर स्वयं कम हो गया था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच.पी.पी.सी. ने एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा बिल किए गए यूनिटों हेतु भुगतान किया था, आपूर्ति वास्तविक यूनिटों पर नहीं। 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान, एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा बिलों के यूनिट आपूर्ति किए गए वास्तविक यूनिटों से अधिक थे। इस प्रकार, नियत लागत अधिक भुगतान किया गया।

ii ईंधन मूल्य समायोजन का अतिरिक्त भुगतान

एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा एच.पी.पी.सी. से वसूल की जाने वाली टैरिफ एच.ई.आर.सी. द्वारा वर्ष के आरंभ में निश्चित की जाती है। तथापि, वर्ष के दौरान ईंधन के वास्तविक लागत में भिन्नता एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा ईंधन मूल्य समायोजन (एफ.पी.ए.) बिलों के द्वारा अलग से एच.पी.पी.सी. से वसूल की जाती है। एपटेल ने अपने आदेश (दिसंबर 2012) में निर्णय लिया कि एफ.पी.ए. वास्तविक उत्पादन आधार पर की जानी है।

हमने अवलोकित किया कि एच.पी.जी.सी.एल. ने क्रमशः 15,853 एम.यूज तथा 20,353 एम.यूज के सामान्य उत्पादन पर वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 हेतु ₹ 545.82 करोड़ के एफ.पी.ए. बिल जारी किए (1 अप्रैल 2013) जबकि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों हेतु क्रमशः 12,209.22 एम.यूज तथा 15,598.54 एम.यूज के वास्तविक उत्पादन के अनुसार ₹ 386.26 करोड़ एफ.पी.ए. की गणना की गई। इस प्रकार, एच.पी.पी.सी. ने एच.पी.जी.सी.एल. को ₹ 159.56 करोड़ (₹ 545.82 करोड़ - ₹ 386.26 करोड़) का अधिक भुगतान किया।

प्रबंधन ने कहा कि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 हेतु ₹ 545.82 करोड़ के ईंधन मूल्य समायोजन (एफ.पी.ए.) बिल एपटेल निर्णय के अनुवर्ती एच.ई.आर.सी. आदेश के अनुसार एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा जारी किए गए। एच.पी.जी.सी.एल. ने विस्तृत गणना किए बिना बिल बनाए थे।

उत्तर विनिर्दिष्ट नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने वास्तविक उत्पादन के स्थान पर सामान्य उत्पादन हेतु अंतर की राशि के भुगतान के संबंध में टिप्पणी उठाई थी तथा एच.पी.पी.सी. को भुगतान करने से पहले विस्तार में गणना की जांच करनी चाहिए थी। वास्तविक उत्पादन सामान्य उत्पादन से कहीं कम था, अतः अंतर की राशि का अधिक भुगतान किया गया था।

iii. साफ्ट पेनल्टी नार्मस के कारण ठेकेदारों का पक्षपात

भारत सरकार (जी.ओ.आई.), विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) द्वारा टैरिफ को निश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देशों के तहत जनवरी 2005 में जारी वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत के प्राप्ति हेतु बोली की प्रक्रिया यह निर्धारित करती है कि सामान्य उपलब्धता, बोली प्रक्रिया के समय पर लागू केंद्रीय विद्युत नियामक कमीशन (सी.ई.आर.सी.) के टैरिफ विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तर के अधिकतम पांच प्रतिशत तक उच्चतर होगी। यदि उपलब्धता पूर्व-निर्धारित

स्तर (सामान्य उपलब्धता से पांच प्रतिशत कम हो सकती है) से कम होती है तो उपलब्धता में जितनी कमी है उस पर, क्षमता प्रभार के 20 प्रतिशत की दर पर पेनलटी लागू होगी।

सी.ई.आर.सी. विनियमन - 2004 ने 80 प्रतिशत की लक्ष्य उपलब्धता निर्धारित की थी। इसलिए, सामान्य उपलब्धता 85 प्रतिशत तक नियत की जानी चाहिए थी और पेनलटी लगाने हेतु आधार 80 प्रतिशत पर नियत किया जाना चाहिए था। परंतु एच.पी.पी.सी. ने, केस-1 तथा केस-2 में बोली के लिए न्यूनतम सामान्य उपलब्धता 80 प्रतिशत पर नियत की थी। तदनुसार, पेनलटी लगाने हेतु आधार स्तर भी 75 प्रतिशत पर नियत किया गया जोकि स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आई.पी.पी.) के जोखिम को नीचे लाने हेतु कमतर था। विद्युत क्रय अनुबंध (पी.पी.ए.) प्रतियोगात्मक बोली के माध्यम से मैसर्ज झज्जर विद्युत लिमिटेड (जे.पी.एल.) तथा एच.पी.पी.सी. के बीच हस्ताक्षरित किया गया (7 अगस्त 2008)।

हमने अवलोकित किया कि 2012-13 के दौरान, एच.पी.पी.सी. ने 75 प्रतिशत मूल स्तर के अनुसार उत्पादन में कमी (44.95 प्रतिशत) के कारण ₹ 55.80 करोड़ की पेनलटी लगाई। यदि मूल स्तर 80 प्रतिशत रखा होता तो पेनलटी ₹ 62.01 करोड़ हो गई होती। इस प्रकार, पेनलटी लगाने हेतु कम उपलब्धता स्तर नियत करने से मैसर्ज जे.पी.एल. को ₹ 6.21 करोड़ (₹ 62.01 करोड़ - ₹ 55.80 करोड़) का लाभ हुआ।

इसी प्रकार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, पी.पी.ए. में पेनलटी लगाने हेतु मैसर्ज अदानी पावर लिमिटेड (ए.पी.एल.) के साथ हस्ताक्षरित (7 अगस्त 2008) मूल स्तर भी 75 प्रतिशत पर नियत किया गया था। हमने आगे अवलोकित किया कि वर्ष 2012-13 के दौरान, एच.पी.पी.सी. ने 75 प्रतिशत के मूल स्तर के अनुसार उत्पादन में कमी (5.49 प्रतिशत) के कारण ₹ 4.95 करोड़ की पेनलटी लगाई (जुलाई 2013)। यदि मूल स्तर 80 प्रतिशत लगाया होता तो पेनलटी ₹ 9.46 करोड़ होती। इस प्रकार, पेनलटी लगाने हेतु कम स्तर नियत करने के परिणामस्वरूप मैसर्ज ए.पी.एल. को ₹ 4.51 करोड़ (₹ 9.46 करोड़ - ₹ 4.95 करोड़) का लाभ हुआ।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2014) कि बोली प्रक्रिया, बोली दिशानिर्देश - 2005 के अनुसार थी तथा एम.ओ.पी. द्वारा स्टैर्डर्ड बोली दस्तावेज अधिसूचित किए गए थे। 80 प्रतिशत पर सामान्य उपलब्धता को नियत करना एच.पी.पी.सी. के पक्ष में था क्योंकि 80 से 85 प्रतिशत के बीच विद्युत उपलब्धता होने पर क्षमता प्रभार भुगतान नहीं किए जाएंगे, जो टैरिफ के 40 से 50 प्रतिशत तक हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशानिर्देश - 2006 के संशोधन के अनुसार, सामान्य उपलब्धता सी.ई.आर.सी. टैरिफ विनियमन - 2004 में विशेष रूप से उल्लिखित स्तर (80 प्रतिशत) से 5 प्रतिशत उच्चतर पर नियत की जानी चाहिए थी। अतः, सामान्य उपलब्धता 85 प्रतिशत पर नियत की जानी चाहिए थी तथा पेनलटी 80 प्रतिशत उपलब्धता से नीचे के लिए वसूल की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, सामान्य उपलब्धता को 85 प्रतिशत तक संशोधन करने के दौरान सी.ई.आर.सी. ने अवलोकित किया (जनवरी 2009) कि 200 मैगावाट तथा अधिक सैटस वाले एन.टी.पी.सी. थर्मल पावर स्टेशन की औसत उपलब्धता लगभग 86 से 97 प्रतिशत तक के बीच थी। अतः, 85 प्रतिशत पर सामान्य उपलब्धता नियत करने तथा 80 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत पर पेनलटी लगाने हेतु आधार न्याय संगत नहीं था क्योंकि इसने

80 से 75 प्रतिशत के बीच उपलब्धता हेतु पेनल्टी देने के आई.पी.पी. के जोखिम को कम किया था।

यह मानना कि, 80 से 85 प्रतिशत के बीच उपलब्धता के उत्पादन हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं देना था तथा यह विद्युत केवल ऊर्जा/परिवर्ती प्रभारों पर उपलब्ध थी जोकि टैरिफ की 40 से 50 प्रतिशत है, ठीक नहीं है क्योंकि 85 प्रतिशत पर, प्रति यूनिट क्षमता/नियत प्रभार, 80 प्रतिशत की तुलना में कम थे।

iv. पी.पी.ए. के दोषपूर्ण क्लाजिज के कारण हानि

एच.पी.पी.सी. ने दो पी.पी.एज 7 अगस्त 2008 को हस्ताक्षरित किए, एक मैसर्ज जे.पी.एल. के साथ तथा दूसरा मैसर्ज ए.पी.एल. के साथ। मैसर्ज जे.पी.एल. के साथ पी.पी.ए. ने प्राप्तिकर्त्ता एच.पी.पी.सी. को वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सी.ओ.डी.) के दिन से विद्युत प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया था तथा सी.ओ.डी. को तब परिभाषित किया गया, जब यूनिट ने 95 प्रतिशत या इससे अधिक की क्षमता पर लगातार 72 घंटों के लिए सफलता पूर्वक टैस्ट रन पूर्ण किए हों, पुनः विक्रेता, विद्युत को केवल एच.पी.पी.सीज की अनुमति के पश्चात् ही तृतीय पार्टी को बेच सकता था। तथापि, मैसर्ज ए.पी.एल. के मामले में, एच.पी.पी.सी. केवल निर्धारित सी.ओ.डी. की तिथि से विद्युत प्राप्ति हेतु प्राधिकृत थी तथा मैसर्ज ए.पी.एल. बिना अनुमति के, वास्तविक सी.ओ.डी. तथा निर्धारित सी.ओ.डी. (अगस्त 2012) के बीच उत्पादित विद्युत को तृतीय पार्टी को बेच सकती थी। इस प्रकार, एक ही तिथि को हस्ताक्षरित पी.पी.एज में विद्युत प्राप्त करने के, तथा तृतीय पार्टी को विक्रय के अधिकार के बारे में अलग-अलग क्लाजिज शामिल की गई थीं।

हमने अवलोकित किया कि मैसर्ज ए.पी.एल. ने अपने तीनों यूनिटों से क्रमशः अप्रैल, जुलाई और सितंबर 2011 में विद्युत उत्पादन आरंभ कर दिया था तथा विद्युत को मार्किट में बेच दिया था। परंतु पी.पी.ए. में क्लाजिज न होने के कारण, एच.पी.पी.सी. वास्तविक सी.ओ.डी. (अप्रैल 2011) से निर्धारित सी.ओ.डी. (जुलाई 2012) तक मैसर्ज ए.पी.एल. से न तो विद्युत प्राप्त कर सका और न ही राजस्व के हिस्से को ही शेयर कर सका। इस प्रकार, निर्धारित सी.ओ.डी. से पहले मैसर्ज ए.पी.एल. द्वारा तृतीय पार्टियों को विद्युत बेचने से अर्जित किए ₹ 2,828.27 करोड़⁶ न शेयर किया जा सका, न ही विद्युत प्राप्त हुआ।

अप्रैल 2011 से जुलाई 2012 के दौरान, एच.पी.पी.सी. ने अल्प अवधि क्रय के द्वारा ₹ 314.64 करोड़ की राशि के 806.07 एम.यू.ज खरीदे। दोषपूर्ण पी.पी.ए. क्लाजिज के कारण ए.पी.एल. विद्युत की अनुपलब्धता से ₹ 143.06 करोड़ की हानि हुई जैसा कि परिशिष्ट-6 में विवरण दिया गया है।

प्रबंधन ने कहा कि मैसर्ज अदानी पावर लिमिटेड से विद्युत की निकासी नहीं की जा सकी क्योंकि एच.वी.पी.एन.एल. की निकास प्रणाली पूर्ण नहीं थी। पुनः, एक बार पी.पी.ए. के वाणिज्यिक रूप से परिचालित हो जाने पर, डिस्कोमज 80 प्रतिशत पी.एल.एफ. पर नियत प्रभार देने हेतु बाध्य थे क्योंकि विद्युत दूसरे रूटों से नहीं लाई जा सकती थी। इसके अतिरिक्त,

⁶ राजस्व 85 प्रतिशत पी.एल.एफ. (पी.पी.ए. में अनुमोदित) उत्पादित विद्युत की यूनिटों तथा इस अवधि में अनिर्धारित आपसी परिवर्तन दर की औसत के साथ गुणा करने के आधार पर गणना की जाती है।

पी.पी.ए. भारत सरकार द्वारा प्रसारित दिशानिर्देशों का भाग था तथा डिस्कोमज ने इसे अपनाया मात्र था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच.पी.पी.सी. इस विद्युत को प्राप्त करने में इच्छुक था। भारत के अटार्नी जनरल की कानूनी राय के अनुसार पी.पी.ए. खराब तौर पर ड्राफ्ट किया गया था तथा इसने एच.पी.पी.सी. को एस.सी.ओ.डी. से पहले विद्युत प्राप्तण हेतु प्राधिकृत नहीं किया था। इस प्रकार, दोषपूर्ण पी.पी.ए. के कारण, एच.पी.पी.सी., एस.सी.ओ.डी. से पहले विद्युत प्राप्त न कर सका और न ही यह उपरोक्त विद्युत को मार्किट में बेचने से ए.पी.एल. द्वारा अर्जित राजस्व को प्राप्त कर सका। यह मानना कि पी.पी.ए. भारत सरकार द्वारा प्रसारित दिशानिर्देशों का भाग था ठीक नहीं है क्योंकि यह दिशानिर्देश कोई फारमेट निर्धारित नहीं करते हैं तथा सी.ओ.डी. भी उस तरीके से परिभाषित नहीं किया गया जिस तरीके से पी.पी.ए. में किया गया था और यह भी कि इन दिशानिर्देशों ने प्राप्तणकर्ता को एस.सी.ओ.डी. से ही विद्युत प्राप्त करने हेतु बाध्य नहीं किया था।

v. सी.जी.पी.एल. को अधिक भुगतान

एच.पी.जी.सी.एल. ने 380 मैगावाट विद्युत की खरीद हेतु मैसर्ज कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड (सी.जी.पी.एल.) के साथ पी.पी.ए. किया (22 अप्रैल 2007)। पी.पी.ए. के क्लाज 9 के अनुसार, ऊर्जा प्रभार, बोली की अंतिम तिथि (22 दिसंबर 2006) से एक माह पश्चात् सी.ई.आर.सी. द्वारा विशेष रूप से उल्लेखित वार्षिक इनफलेशन दर को लागू करके बढ़ाए जाने थे। पुनः पी.पी.ए. का आर्टिकल संख्या 11.1 प्राप्तण राज्यों⁷ को ऊर्जा प्रभार (परिवर्ती लागत) भुगतान करने पर, सी.ओ.डी. से पहले, विक्रेता से विद्युतीय आऊटपुट (विद्युत) प्राप्त करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। पी.पी.ए. का आर्टिकल संख्या 13, कानून में कोई परिवर्तन होने के मामले में प्राप्तणकर्ताओं को मुआवजा देने के बारे में अधिकार प्रदान करता है। 1,805 एम.डब्ल्यू. पावर के पी.पी.ए. के साथ अग्रणी प्राप्तणकर्ता के रूप में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जी.यू.वी.एन.एल.) को सभी प्राप्तणकर्ताओं के पी.पी.ए. के अंतर्गत अधिकारों तथा बाध्यताओं को निभाने हेतु प्राधिकृत किया गया था। इसके निर्णय दूसरे प्राप्तणकर्ताओं पर बाध्य थे। हमने निम्नानुसार अवलोकित किया (अप्रैल 2014):

- एच.पी.पी.सी. ने 21 जनवरी 2007 की बजाय 22 दिसंबर 2006 से ही ऊर्जा प्रभार बढ़ाए थे। उत्थान इन्डेक्स को गलत लागू करने के कारण, ₹ 7.58 करोड़ (मार्च 2012 से दिसंबर 2013 तक) की अधिक राशि मैसर्ज सी.जी.पी.एल. को भुगतान की गई थी।
- मैसर्ज सी.जी.पी.एल. द्वारा उत्पादित इनफर्म विद्युत, ग्रिड में डाली गई तथा प्राप्तणकर्ता इस इनफर्म विद्युत को प्राप्त न कर सके। मैसर्ज सी.जी.पी.एल. ने ग्रिड में डाले गए अपने इस इनफर्म विद्युत हेतु यू.आई.⁸ प्रभार प्राप्त किए। पी.पी.ए. के आर्टिकल संख्या 13 के विचार से, इनफर्म विद्युत की बिक्री से सी.जी.पी.एल. द्वारा प्राप्त यू.आई. प्रभारों की राशि प्राप्तणकर्ताओं तक पहुंचाई जानी चाहिए थी। पी.पी.ए. के उपरोक्त शर्तों एवं

⁷

गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा।

⁸

भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में परिभाषित अनिर्धारित आपसी परिवर्तन के अनुसार।

निबंधनों के आधार पर, अग्रणी प्रापणकर्त्ता जी.यू.वी.एन.एल. ने ₹ 3.76 करोड़ की राशि समायोजित की थी (मार्च 2012) तथा जनवरी 2012 से मार्च 2012 की अवधि हेतु इनफर्म विद्युत के हिस्से हेतु ₹ 10.78 करोड़ की मांग की थी (अप्रैल 2012)। तथापि, एच.पी.पी.सी. ने न तो ₹ 3.06⁹ करोड़ के अपने हिस्से हेतु मांग उठाई न ही बिलों में इस राशि को समायोजित किया (जून 2014)।

उत्तर में प्रबंधन ने बताया कि एच.पी.पी.सी. ने जनवरी 2014 तक सी.जी.पी.एल. को पूरा भुगतान कर दिया था तथा फरवरी 2014 के मास हेतु एच.पी.पी.सी. ने जी.यू.वी.एन.एल. द्वारा प्रयोग किए जा रहे उत्थान इडैक्स के अनुसार ऊर्जा बिलों का भुगतान किया और अंतर राशि को घटा दिया था। पुनः एच.पी.पी.सी. भविष्य में इनफर्म विद्युत के विरुद्ध यू.आई. प्रभारों के क्रेडिट तथा क्षमता प्रभारों के साथ-साथ ऊर्जा प्रभारों का जी.यू.वी.एन.एल. उत्थान इडैक्स के अनुसार भुगतान करेगा तथा पहले से ही भुगतान किए गए बिलों में देय ब्याज सहित समायोजन करेगा।

यह तथ्य रहा कि राशि अभी तक (मार्च 2015) वसूल/समायोजित नहीं की गई थी।

vii. अल्प अवधि तथा यू.आई. विद्युत के कारण हानि

अपनी परियोजनाओं, शेयर्ड परियोजनाओं तथा केंद्रीय परियोजनाओं से 2008-09 से 2013-14 तक सभी वर्षों के दौरान विद्युत की उपलब्धता एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित मात्रा से कम थी। इस कमी को ₹ 2.96 से ₹ 12.25 के बीच श्रृंखलित प्रति यूनिट दरों पर मंहगी अल्प अवधि विद्युत की खरीद से तथा ₹ 2.69 से ₹ 11.72 तक के मध्य श्रृंखलित प्रति यूनिट दरों पर अनिर्धारित ऊर्जा के निकास द्वारा पूरा किया गया। जिसने दर्शाया कि विद्युत की अधिक मात्रा 50 हटर्ज की आदर्श फ्रिक्वेंसी के विरुद्ध निम्नतर ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर निकाली गई, जो ग्रिड में उच्च-भारित स्थितियों को तथा गंभीर ग्रिड अननुशासन का द्योतक था।

इस कमी को एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से उच्च दरों पर खरीद कर पूरा किया गया। जिससे डिस्कोम्ज पर ₹ 2,095.27 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा जैसा कि परिशिष्ट-7 में विवरणित है।

viii. लघु अवधि विद्युत क्रय के अतिमकरण में दरी के कारण हानि

एच.पी.पी.सी. ने जून, जुलाई व अगस्त 2010 के महीनों में धान के मौसम हेतु क्रमशः 300 एम.डब्ल्यू, (जून 2010), 500 एम.डब्ल्यू (जुलाई 2010) व 600 एम.डब्ल्यू (अगस्त 2010), 24 घंटे लघु अवधि विद्युत की खरीद हेतु टैंडर फ्लोट किए (19 मार्च 2010)। आठ फर्मों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की जो 2 अप्रैल 2010 को खोली गई। पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन (पी.टी.सी.) जून 2010 मास हेतु, अपने 200 एम.डब्ल्यू. के लिए ₹ 6.08 प्रति यूनिट (स्रोत-हिमाचल प्रदेश) तथा 150 एम.डब्ल्यू. के लिए ₹ 6.09 प्रति यूनिट (स्रोत-पश्चिमी क्षेत्र) के उच्चत भू-दर के साथ न्यूनतम फर्म थी। फिर भी पी.टी.सी. ने यह

⁹

इनफर्म विद्युत आय में एच.पी.सी. का हिस्सा: ₹ 14.54 करोड़ (₹ 3.76 करोड़ + ₹ 10.78 करोड़) इनफर्म विद्युत आय में जी.यू.वी.एन.एल. का हिस्सा x 380 एम.डब्ल्यू. (विद्युत में एच.पी.पी.सी. हिस्सा) / 1,805 एम.डब्ल्यू. (विद्युत में जी.यू.वी.एन.एल. का हिस्सा) = ₹ 3.06 करोड़।

स्पष्ट कर दिया था (29 मार्च 2010) कि विद्युत कई भावी क्रेताओं को प्रस्तावित की जा रही थी तथा पी.टी.सी. 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर कारीडोर बुक करेगा। कारीडोर बुक करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2010 थी।

हमने अवलोकित किया कि एच.पी.पी.सी. द्वारा पी.टी.सी. को लैटर आफ इन्टेट (एल.ओ.आई.) जारी (23 अप्रैल 2010) करने में 21 दिन (2 अप्रैल 2010 से 23 अप्रैल 2010) लगे क्योंकि कारीडोर बुक करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2010 थी इसलिए पी.टी.सी. ने इस तर्क पर विद्युत बेचने हेतु मना कर (23 अप्रैल 2010) दिया कि नोटिस इनवार्इटिंग टैंडर (एन.आई.टी.) में प्रस्तावित की गई विद्युत इसने पहले ही बेच दी थी। तथापि, पी.टी.सी. ने फिर से जून 2010 मास हेतु ₹ 7.62 प्रति यूनिट उच्च भू-दर पर विद्युत प्रस्तावित की (28 अप्रैल 2010) तथा एच.पी.पी.सी. उससे सहमत हो गया। मास जून 2010 के दौरान, एच.पी.पी.सी. को पी.टी.सी. से कुल 75.05 एम.यू.ज (स्रोत: हिमाचल प्रदेश) खरीदने के परिणामस्वरूप ₹ 11.56 करोड़¹⁰ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने कहा कि जी.ओ.एच.पी. ने यह विद्युत पहले ही बेच दी थी। मामला सी.एम. के द्वारा सी.एम., जी.ओ.एच.पी. के ध्यान में लाया गया था परंतु जी.ओ.एच.पी. ने कोई उत्तर नहीं दिया।

यह कहना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.टी.सी. से सूचना के बावजूद कि विद्युत कई भावी क्रेताओं को 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर प्रस्तावित की जा रही थी, एच.पी.पी.सी. ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तथा इस प्रकार किफायती दरों पर लघु अवधि विद्युत प्राप्त करने के अवसर को खो दिया।

viii. अल्प अवधि विद्युत की खरीद

एच.ई.आर.सी. की विद्युत प्राप्ति (जुलाई 1999) हेतु दिशानिर्देश यह प्रावधान करते हैं कि अल्प अवधि विद्युत की खरीद, उपभोक्ताओं को लागत कम करने हेतु, आपातकालीन स्थिति में ही की जानी चाहिए। एच.ई.आर.सी. ने, विद्युत अधिनियम - 2003 के सैक्षण 62 (1) के अनुसार, वर्ष 2008 - 09 तथा 2009 - 10 हेतु अल्प अवधि विद्युत की खरीद हेतु ₹ 4.70 प्रति यूनिट की सीलिंग दर निर्धारित की थी। एच.पी.पी.सी. ने निर्णय लिया (31 मार्च 2009) कि अप्रैल, मई 2009 के दौरान अतिरिक्त विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए जून - सितंबर 2009 की अवधि हेतु जारी की गई निविदाएं (16 फरवरी 2009) ही अंतिम की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि अप्रैल - मई 2009 के दौरान कोई अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता नहीं थी फिर भी अप्रैल - मई 2009 के दौरान ₹ 7.15 से ₹ 12.25 प्रति यूनिट के बीच श्रृंखलित दरों पर एक्सचेंज तथा प्राइवेट उत्पादकों से ₹ 79.15 करोड़ की लागत पर 101.20 एम.यू.ज खरीदे गए। यह दरे एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित ₹ 4.70 प्रति यूनिट सीलिंग दर की तुलना में उच्चतर थीं।

प्रबंधन ने कहा कि विद्युत की मात्रा केवल 2.01 प्रतिशत थी तथा केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही आने वाले दिन के आधार पर खरीदी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

¹⁰

(₹ 7.62 प्रति यूनिट - ₹ 6.08 प्रति यूनिट) x 75.05 एम.यू.ज = ₹ 11.56 करोड़।

लेखापरीक्षा ने प्रबंधन के इस कथन के संबंध में कि अल्पावधि विद्युत एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से उच्चतर दरों पर अति आवश्यक परिस्थितियों में ही खरीदी गई थी, कोई रिपोर्ट अवलोकित नहीं की थी।

इस प्रकार, एच.पी.पी.सी. ने ₹ 755.91 करोड़ का अधिक भुगतान एच.पी.जी.सी.एल. को किया था तथा उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित नहीं किया क्योंकि उन्हें उच्चतर टैरिफ का भुगतान करना पड़ा था। एच.पी.पी.सी. ने साफ्ट पेनल्टी नार्मस, विद्युत क्रय अनुबंध में दोषपूर्ण क्लाइज तथा अल्पावधि विद्युत क्रय को अंतिमकरण करने में देरी के कारण ₹ 165.26 करोड़ की हानि सही। स्व-उत्पादन, शेर्ड परियोजनाओं तथा केंद्रीय परियोजनाओं द्वारा हुई विद्युत की उपलब्धता में कमियों को एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से उच्चतर दरों पर अल्पावधि तथा यू.आई. विद्युत खरीद करके पूरा किया गया, जिससे डिस्कोम्ज पर ₹ 2,095.27 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2014) और उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मार्च 2015)।

हरियाणा भूमि सुधार तथा विकास निगम लिमिटेड

3.4 अधिक भुगतान

अनुबंधित ट्रूक लोडिंग क्षमता पर मूल्य वृद्धि की मात्रा के सही परिकलन न करने से ट्रांसपोर्टर को ₹ 21.29 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

कंपनी राजस्थान से जिप्सम प्राप्त करती है तथा इसे कृषि विभाग द्वारा आबंटन के आधार पर सड़क द्वारा राज्य के सभी सात जोन को सीधे आपूरित करती है। कंपनी ने अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि हेतु जिप्सम के परिवहन के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया (28 मार्च 2012) जो कि उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर वर्ष 2013-14 के लिए आगे बढ़ाया गया था। अनुबंध में अन्य के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि डीजल के मूल्यों में ₹ एक प्रति लीटर की वृद्धि हुई तो, मूल्यों में वृद्धि ₹ नौ प्रति एम.टी. होगी। कंपनी द्वारा मूल्यों में यह वृद्धि एक ट्रूक की धारण क्षमता 10 एम.टी. मानकर 1997 में परिकलित की गई थी।

आॅडिट ने अवलोकित किया (जनवरी 2014) कि 27 जनवरी 2012 की एन.आई.टी. की शर्तें प्रावधान करती है कि निविदाकारों के पास 28 से 35 एम.टी. धारण क्षमता वाले ट्रूक होने चाहिए थे। ट्रांसपोर्टरों ने अप्रैल 2012 से नवंबर 2013 के दौरान ढोए गए कुल 1,29,589 एम.टी. में से 30-35 एम.टी. की क्षमता वाले ट्रूकों के माध्यम से 77 प्रतिशत (99,287 एम.टी.) जिप्सम उठाया था। तथापि, कंपनी ने ट्रूकों की 10 एम.टी. क्षमता के स्थान पर 28-35 एम.टी. की वृद्धित क्षमता को ध्यान में रखते हुए मूल्य वृद्धि क्लॉज में संशोधन नहीं किया तथा अनुबंध में ट्रांसपोर्टर को उच्चतर मूल्य वृद्धि दर अनुमत की।

30 एम.टी. की धारण क्षमता वाले ट्रूक की डीजल की प्रति लीटर औसत ईधन उपभोग 2.5 किमी. है तथा इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ₹ एक प्रति लीटर डीजल की मूल्य-वृद्धि हेतु ₹ 4.35 से ₹ 9.49 प्रति एम.टी. (खदान से प्रत्येक जोन तक की दूरी के आधार पर) के मध्य मूल्य-वृद्धि परिकलित की गई। अनुबंध में मूल्य वृद्धि फार्मूला में संशोधन न करने के

कारण कंपनी ने अप्रैल 2012 से नवंबर 2013 के दौरान ट्रांसपोर्टर द्वारा ढोए गए जिप्सम के लिए उसको ₹ 21.29 लाख का अधिक भुगतान किया।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2014) कि इसने लेरवापरीक्षा दावे के अनुसार ट्रकों की धारण क्षमता 28 से 35 एम.टी. मानते हुए, डीजल के मूल्यों में वृद्धि हेतु परिवहन लागत में वृद्धि के लिए, फार्मूला को 2014-15 से संशोधित कर दिया था।

मामला सरकार के पास भेजा गया (जून 2014), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड

3.5 राजस्व की हानि

राजस्व के लिकेज को रोकने के लिए टोल कलैक्शन प्वाइंट को शिफ्ट करने हेतु समायोजित कार्रवाई न करने के कारण ₹ 37.45 लाख की संभावित राजस्व की हानि हुई।

राज्य सरकार ने हांसी-तोशाम-सोढ़ीवास सड़क को टोल सड़क घोषित (11 अगस्त 2010) किया। कंपनी ने निविदाएं आमंत्रित करने के बाद नवंबर 2010 से सितंबर 2011 तक ₹ 111.80 लाख के लिए टोल अनुबंध आबंटित किया (अक्तूबर 2010)। अनुबंधकर्ता ने कंपनी को सूचित किया (21 अक्तूबर 2010) कि टोल प्वाइंट से 800 मीटर की दूरी पर गांव सोढ़ीवास में एक स्लिप मार्ग था जो टोल टैक्स के भुगतान से बचने के लिए वाहनों द्वारा प्रयोग किया जा रहा था, तथा राजस्व हानि को बचाने के लिए टोल प्वाइंट को तदनुसार शिफ्ट करने की प्रार्थना की। कंपनी ने अधीक्षण अभियंता (भिवानी सर्कल), पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) की प्रतिक्रिया मांगी (27 अक्तूबर 2010) जिसने वर्तमान टोल प्वाइंट को शिफ्ट किए जाने की अनुशंसा की (दिसंबर 2010)। तथापि, कंपनी ने अप्रैल 2012 में टोल प्वाइंट शिफ्ट किया।

टोल प्वाइंट को शिफ्ट न किए जाने के कारण कंपनी को उचित कीमत पर अनुबंध देने में समस्याओं का सामाना करना पड़ा। इसने 1 जनवरी 2012 से 30 जून 2012 की अवधि के लिए अनुबंधकर्ता से ₹ 45 लाख तथा 1 अक्तूबर 2011 से 31 दिसंबर 2011 और 1 जुलाई 2012 से 31 अगस्त 2012 के बीच जब कोई अनुबंध चालू नहीं था उसके दौरान अपने आप टोल टैक्स (₹ 29.35 लाख) संगृहीत किया। कंपनी ने टोल प्लाइंट शिफ्ट करने के बाद एक सितंबर 2012 से आरंभ होकर एक वर्ष के लिए ₹ 1.31 करोड़ का टोल संग्रहण का अनुबंध किया। यदि कंपनी ने पहले अनुबंध के सितंबर 2011 में पूर्ण होने से पहले ही स्थान को बदल लिया होता तथा इसके तुरंत बाद पहले अनुबंध वाली दर पर भी अक्तूबर 2011 से नया अनुबंध दे दिया होता तो इसको ₹ 37.45 लाख (₹ 111.80 लाख - ₹ 29.35 लाख - ₹ 45 लाख) का लाभ हुआ होता।

कंपनी ने बताया कि (नवंबर 2013) हरियाणा सरकार की टोल नीति के अनुसार टोल प्वाइंट्स, भारी ट्रैफिक वाली सड़कों पर अन्य राज्यों की सीमा पर स्थित होने चाहिए तथा इसीलिए टौल प्वाइंट के स्थान को शिफ्ट करने के मामले पर कभी भी विचार नहीं किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी ने बाद में अंततः टौल प्वाइंट शिफ्ट किया।

मामला सरकार के पास भेज दिया गया था (अप्रैल 2014), उनका उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) था।

3.6 अवसूली

अनुबंधकर्ताओं के खाते में पैसों के गलत जमा तथा उनके अमिलान के कारण ₹ 1.34 करोड़ की अवसूली हुई।

कंपनी ने ₹ 5.83 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर 29 अगस्त 2009 से 30 सितंबर 2010 तक कोटपुतली - बुधवाल - नांगल चौधरी - नारनौल सड़क पर टोल प्वाइंट संख्या - 30 पर टोल के संग्रहण के लिए अनुबंध किया (अगस्त 2009)। अनुबंध के अनुसार अनुबंधकर्ता को सितंबर 2009 से शुरू कर सितंबर 2010 तक के प्रत्येक महीने की पहली तारीख को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा टोल की मासिक किश्त जमा कराना अपेक्षित था। अनुबंधकर्ता ने अनुबंध करने के समय इन किश्तों के लिए 12 पोस्ट डेटिड चैक्स (पी.डी.सी.ज) जमा किए। ये "पी.डी.सी.ज" अनुबंधकर्ता द्वारा डिमांड ड्राफ्ट जमा न कराने की स्थिति में एनकैशमेंट के लिए जमा किए जाने थे। अनुबंधकर्ता ने कंपनी को ₹ 87.45 लाख (31 दिसंबर 2010 तक बढ़ाई गई वैधता तक) की बैंक गारंटी (बी.जी.) के रूप में प्रतिभूति जमा भी पेश की।

उपर्युक्त टोल प्वाइंट 1 मार्च से 28 अगस्त 2009 तक विभागीय तौर पर चलाया गया था। कार्यकारी अभियंता, प्रान्तीय मंडल, नारनौल ने अनुबंधकर्ता के बैंक खाते में गलत ढंग से ₹ 2.20 करोड़, अर्थात उपर्युक्त टोल प्वाइंट से संबंधित ₹ 20 लाख का विभागीय संग्रहण तथा टोल प्वाइंट नं. 18 के ₹ 2 करोड़, जमा किए। इसके कारण अनुबंध (1 अक्टूबर 2010) खत्म होने तक कंपनी की बुक्स में अनुबंधकर्ता का ₹ 85.90 लाख का क्रेडिट बैलेंस था। यदि गलत जमा न होती तो अनुबंधकर्ता के खातों में ₹ 1.34 करोड़ (कंपनी द्वारा वसूलनीय) का डेबिट बैलेंस होना था। कंपनी ने अनुबंधकर्ता को किश्तों की मासिक जमाओं के विवरण सूचित करने को कहा (अक्टूबर/नवंबर 2010 तथा जनवरी 2011)। इसी बीच, 31 दिसंबर 2010 को अनुबंधकर्ता के पी.डी.सी.ज तथा बी.जी लैप्स हो चुके थे।

आडिट ने अवलोकित (जुलाई 2013) किया कि फरवरी से जुलाई 2010 के दौरान प्रत्येक महीने में अनुबंधकर्ता के क्रेडिट में पड़ी राशि, भुगतान सूची के अनुसार देय राशि से बहुत ज्यादा थी तथा अनुबंध की समाप्ति पर यानि 30 सितंबर 2010 को अनुबंधकर्ता के खाते में ₹ 85.90 लाख का क्रेडिट बैलेंस दिखाया गया था। जबकि, वास्तव में अनुबंधकर्ता के खाते में ₹ 1.34 करोड़ (कंपनी द्वारा वसूलनीय) का डेबिट बैलेंस था। कंपनी ने, इस तथ्य के बावजूद किंतु अनुबंधकर्ता से ₹ 1.34 करोड़ वसूलनीय थे, पी.डी.सी.ज तथा बी.जी. एनकैश नहीं किए। यदि कंपनी ने प्रत्येक महीने अनुबंधकर्ता के खाते में पड़े क्रेडिट को उसकी देय राशि से मिलान कर लिया होता तो, गलत जमा का पता लगाया जा सकता था।

तथ्यों को स्वीकारते हुए कंपनी ने बताया (नवंबर 2013) कि मामले के निपटान के लिए कंपनी द्वारा एक आर्बीट्रेटर नियुक्त (सितंबर 2013) किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि गलती कार्यकारी अभियंता, प्रान्तीय मंडल, नारनौल के हिस्से पर थी जिसने अनुबंधकर्ता के खाते में विभागीय संग्रहण द्वारा जमा पैसे को गलत ढंग से जमा किया तथा इसके अतिरिक्त

¹¹

एक चैक की वैधता तीन महीनों की है।

उसने खातों का सही ढंग से रख-रखाव तथा मिलान नहीं किया था। कार्यकारी अभियंता, प्रान्तीय मंडल, नारनौल की स्पष्ट लापरवाही के बावजूद कंपनी ने विचाराधीन राशि को वसूलने तथा जिम्मेदारी तय करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।

मामला सरकार के पास भेज दिया गया था (मई 2014), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

हरियाणा एग्रो उद्योग निगम लिमिटेड

3.7 ब्याज का परिहार्य भुगतान

निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण एफ.सी.आई. से किसानों को दिए गए ₹ 10.46 करोड़ के बोनस की अदायगी अभी तक नहीं हुई है तथा बोनस भुगतान करने के लिए प्राप्त ऐसी सी.सी. लिमिट पर ₹ 4.79 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया था।

कंपनी भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की ओर से केंद्रीय पूल के लिए मंडियों से गेहूं प्राप्त करती है तथा इसे एफ.सी.आई. को डिलीवर करती है। भारत सरकार (जी.ओ.आई.) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.), सांविधिक प्रभार तथा गेहूं के अन्य प्रासांगिक शुल्क निश्चित करती है। इन मूल्यों के आधार पर कंपनी गेहूं की प्राप्ति के बाद एफ.सी.आई. से खाद्यान्नों की कीमत तथा अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा करती है।

खाद्यान्नों के सरल प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने, समेकित बिलों को तैयार करने तथा किसानों से प्राप्त गेहूं से संबंधित मंडी के सभी आढ़तियों¹² से बिलों/लेखांकनों के संग्रहण की सेवा हेतु बिलिंग-कम-पेमेंट एजेंटों (बी.सी.पी.एज) के साथ समझौता किया।

जी.ओ.आई. ने रबी फसल 2011 के लिए एम.एस.पी. के अतिरिक्त, गेहूं पर ₹ 50 प्रति किवटल का प्रोत्साहन बोनस यानि ₹ 500 प्रति एम.टी. की घोषणा की (अप्रैल 2011)। राज्य सरकार द्वारा जारी (अप्रैल तथा नवंबर 2011) निर्देशों के अनुसार, बोनस वास्तव में संबंधित किसानों को दिया गया है, यह सुनिश्चित करने वाले निश्चित विवरणों¹³ को दर्शाते हुए एक निर्धारित प्रपत्र के रूप में एक सर्टिफिकेट के प्रस्तुत करने पर ही एफ.सी.आई. द्वारा कंपनी को बोनस की प्रतिपूर्ति की जानी थी।

कंपनी ने 2011-12 के दौरान 7 लाख एम.टी. गेहूं प्राप्त किया तथा मई 2014 तक एफ.सी.आई. को 6.77 लाख एम.टी. गेहूं डिलीवर किया। ₹ 33.85 करोड़ (6.77 लाख एम.टी. x ₹ 500), के बोनस के विरुद्ध कंपनी ने, मार्च 2013 से अक्टूबर 2014 के दौरान, एफ.सी.आई. से ₹ 23.39 करोड़ प्राप्त किए। ₹ 10.46 करोड़ बोनस की बैलेंस राशि एफ.सी.आई. से वसूल नहीं की जा सकी क्योंकि कंपनी वी.सी.पी.एज द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों के प्रस्तुत न करने के कारण एफ.सी.आई. को निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित विवरणों को प्रस्तुत करने में विफल रही।

¹² आढ़ती, खाद्यान-बाजार में कार्यरत एक बिचौलिया होता है।

¹³ किसान का नाम, खरीद की तारीख, भुगतान की तारीख तथा चैक/कैश वाउचर नंबर आदि।

आडिट ने अवलोकित (नवंबर 2013) किया कि कंपनी की ₹ 10.46 करोड़ की यह राशि एफ.सी.आई. से अवसूलनीय रही तथा इसने गेहूं की डिलीवरी की अवधि के दौरान 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की न्यूनतम ब्याज दर पर कैश क्रेडिट (सी.सी.) लिमिट प्राप्त करके किसानों को बोनस दिया। इसने प्राप्त सी.सी. लिमिट पर अक्तूबर 2014 तक ₹ 4.79 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। यदि कंपनी ने निर्धारित प्रपत्र में दावे पेश किए होते, तो दिसंबर 2011 से यह दावे प्राप्त कर चुकी होती तथा ₹ 4.79 करोड़ के ब्याज का भुगतान बचाए जा सकते थे।

प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2014) कि संबंधित जिला प्रबंधकों को यह बताने के लिए कहा गया कि क्यों वे समय पर एफ.सी.आई. से प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सके तथा उन्हें अनुबंध के अनुसार बी.सी.पी.एज द्वारा ड्यूटी न करने पर उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की सलाह भी दी।

मामला सरकार के पास भेज दिया गया था (जून 2014), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड

3.8 निधियों का प्रबंधन

अनुसूचित जाति लाभग्राहियों को सहायता अनुदान के 20 प्रतिशत का संवितरण सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। अधिशेष निधियों/साम्या का प्रबंधन अनुचित था। ब्याज सबसिडी का संदेहास्पद गबन देखा गया जिसमें 47 भिन्न-भिन्न मामलों से संबंधित ₹ 10.90 लाख एक बैंक खाते में जमा करवाए गए थे।

‘हरियाणा आर्थिकतः कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड’ 1982 में स्थापित किया गया था। उसे 1987 में ‘हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड’ (कंपनी) के रूप में पुनः नामकृत किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य, महिलाओं का कल्याण एवं उनकी शैक्षिक योग्यता बढ़ाना तथा स्वरोजगार के अवसर सृजित करने हेतु स्कीम बनाना था। कंपनी, बैंक के माध्यम से हरियाणा सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से, व्यक्तिगत ऋण योजना तथा शिक्षा ऋण स्कीम में महिलाओं को क्रमशः सबसिडी तथा ब्याज सबसिडी प्रदान करती है।

हमने लेखापरीक्षा के दौरान अप्रैल 2009 से मार्च 2014 तक की अवधि की जांच की थी तथा 21 जिला कार्यालयों (संवितरित राशि ₹ 11.40 करोड़) में से अधिकतम संवितरण राशि के आधार पर चयन किए गए पांच¹⁴ जिला कार्यालयों (संवितरित राशि: ₹ 4.19 करोड़¹⁵) के अभिलेखों सहित कंपनी के मुख्यालय के अभिलेखों की भी जांच की।

¹⁴

अंबाला, फरीदाबाद, गुडगांव, पानीपत तथा रोहतक।

¹⁵

इसमें पानीपत जिला कार्यालय द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक संवितरित राशि सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह अभी भी प्रतीक्षित है।

3.8.1 अनुसूचित जातियों से संबंधित लाभग्राहियों को समाविष्ट न करना

कंपनी ने राज्य सरकार से ₹ 10 करोड़ (2009-10 से 2013-14) का सहायता अनुदान प्राप्त किया। इसमें से ₹ दो करोड़ विशेष रूप से अनुसूचित जातियों से संबंधित लाभग्राहियों के सवितरण के लिए था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने अनुसूचित जाति लाभग्राहियों के लिए प्राप्त सहायता अनुदान को उनको संवितरित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए न तो कोई प्रणाली विकसित की थी और न ही अनुसूचित लाभग्राहियों को किए गए सवितरण के लिए पृथक लेखा अनुरक्षित किया था।

कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई तथा नवंबर 2014) कि अनुसूचित लाभग्राहियों को 20 प्रतिशत सहायता अनुदान का लाभ प्रदान करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं तथा नई स्कीमें प्रस्तावित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

3.8.2 अधिशेष निधियों/सम्या का अनुचित प्रबंधन

निधियां, राज्य सरकार के संस्थागत वित्त एवं जमा नियंत्रण विभाग (स.नि.ज.नि.वि.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों (1997) के अनुसार निवेश की जानी चाहिए। स.वि.ज.नि.वि. के दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार निकायों की अप्रयुक्त निधियां, अनुमत संस्थाओं अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा तीन प्राइवेट बैंकों तात्पर्य आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई. तथा एच.डी.एफ.सी. में निवेश की जानी चाहिए।

हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने अधिशेष निधियों के निवेश से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन किया तथा ₹ 3.30 करोड़, आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त कंपनी, जो स.वि.ज.नि.वि. के अनुसार अनुमत संस्था नहीं थी, में 7 से 7.61 प्रतिशत के बीच ब्याज देने वाली चार सावधि जमाओं में निवेश किए (अगस्त 2009 से दिसंबर 2009)। कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई तथा नवंबर 2014) कि ब्याज की उच्चतर दर अर्जित करने के विचार से आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त कंपनी में राशि निवेश करने हेतु निर्णय लिया गया था। कंपनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त कंपनी, स.वि.ज.नि.वि. के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत संस्था नहीं थी।

3.8.3 निधियों के विलंबित पुनर्निवेश के कारण ब्याज की हानि तथा सावधि जमाओं का समय पूर्व नकदीकरण

निधियां किसी भी क्षण निरर्थक न रहें तथा सावधि जमाओं का समयपूर्व नकदीकरण केवल निधियों की अत्यधिक आकस्मिकता/आवश्यकता के दौरान किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए किसी निधि प्रबंधक को निवेशों की परिपक्वता की जांच सूक्ष्मता से करना अनिवार्य है। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि:

- कंपनी ने आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त लिमिटेड में एक वर्ष की अवधि के लिए सात प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज दर वाली दो सावधि जमाओं में ₹ 1.80 करोड़ निवेश किए (12 नवंबर 2009 तथा 9 दिसंबर 2009)। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कंपनी ने सावधि जमाओं की परिपक्वता पर इनकी राशि कंपनी के खातों में अन्तरित करने के लिए आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त को पहुंच नहीं की। तथापि,

₹ 1.91 करोड़ की राशि (उपर्युक्त दो सावधि जमाओं की परिपक्वता पर ब्याज सहित) 73 दिनों (9 दिसंबर 2009 से 21 फरवरी 2011) से 100 दिनों (12 नवंबर से 21 फरवरी 2011) तक के विलंब के पश्चात् कंपनी के बैंक खाते में जमा की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 3.08 लाख ब्याज की हानि हुई (सात प्रतिशत की ब्याज दर पर परिकलित)। कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई तथा नवंबर 2014) कि आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त लिमिटेड से राशि वसूल करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन तथ्य रहता है कि परिपक्वता के तुरंत बाद ब्याज के साथ सावधि जमा की राशि जमा न करवाने के कारण कंपनी ने ₹ 3.08 लाख के ब्याज की हानि उठाई।

- कंपनी ने, आई.सी.आई.सी.आई. गृह वित्त लिमिटेड में एक वर्ष के लिए 7.61 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर दो सावधि जमाओं में ₹ 1.50 करोड़ निवेश किए (अगस्त 2009)। कंपनी ने निधियों की कमी की दलील पर, ₹ 1.50 करोड़ राशि की एक सावधि जमा समयपूर्व नकदीकृत करवाई (15 मार्च 2010)। सावधि जमा के समयपूर्व नकदीकरण के कारण, बैंक ने देय ब्याज की दर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम कर दी।

कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई तथा नवंबर 2014) कि स्थापना का वेतन अनिवार्य था और निधियों की कमी थी इसलिए सावधि जमाओं का मार्च 2010 में समयपूर्व नकदीकरण किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मार्च 2010 में निधियों की कोई कमी नहीं थी जिसकी इस तथ्य से पुष्टि होती है कि सावधि जमा के नकदीकरण के बाद इस माह के दौरान कोई भारी भुगतान नहीं किए गए तथा कंपनी ने ₹ दो करोड़ अन्य बैंक की सावधि जमा में निवेश किए (मार्च 2010)।

3.8.4 अधिशेष निधियों का सावधि जमाओं में निवेश न करने के कारण ब्याज की हानि

कंपनी ने 2011-12 के दौरान ₹ छः करोड़ (26 अप्रैल 2011 से 13 जुलाई 2011 के दौरान पी.एन.बी. पंचकुला में ₹ पांच करोड़ की राशि की चार सावधि जमाएं, प्रत्येक ₹ 1.25 करोड़ की तथा 23 फरवरी 2012 को यूको बैंक में ₹ एक करोड़) पांच सावधि जमाओं में एक वर्ष की अवधि के लिए निवेश किए। सावधि जमाओं की परिपक्वता के पश्चात् कंपनी ने, ₹ 6.31 करोड़ (ब्याज सहित) पी.एन.बी., सैकटर-5, पंचकुला में सेविंग सह स्वीप खाते¹⁶ में अन्तरित कर दिए (अप्रैल 2012 से जून 2012)। हमने देखा कि सावधि जमाओं में निवेश करने की बजाए कंपनी ने संपूर्ण राशि सेविंग-सह-स्वीप खाते में स्थानांतरित कर दी। लेखे की बैंक विवरणियों के अवलोकन ने प्रकट किया कि कंपनी ने, खाते में कुल शेष राशि पर ₹ 29.57 लाख (₹ 13.83 लाख अप्रैल से सितंबर 2012 तथा ₹ 15.74 लाख अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक) ब्याज के रूप में अर्जित किए। यदि कंपनी ₹ 6.31 करोड़ की निधियां

¹⁶ एक बैंक खाता जो राशियों, जो एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाती है (अथवा कम हो जाती हैं), को एक उच्चतर ब्याज अर्जित करने वाले निवेश-विकल्प में, प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर, स्वतः अन्तरित करता है।

सावधि जमाओं में निवेश करती तो यह जुलाई 2012 से मार्च 2013 के दौरान ₹ 40.23¹⁷ लाख अर्जित कर सकती थी। इस प्रकार, सावधि जमाओं में निवेश न करने के कारण कंपनी ने ₹ 10.66 लाख के ब्याज की हानि उठाई (₹ 40.23 लाख - ₹ 29.57 लाख)।

कंपनी तथा सरकार ने बताया (जुलाई तथा नवंबर 2014) कि सैनीटरी नैपकिन बनाने वाली एक हजार इकाइयों, जिनके लिए ₹ 8 लाख करोड़ (लगभग) अपेक्षित थे, की स्थापना के लिए यह निर्णय लिया गया था तथा सावधि जमाओं के अंतर्गत राशि को रखना इसके अपने हित में नहीं था क्योंकि सावधि जमाओं के समय-पूर्व नकदीकरण की अवस्था में, कंपनी को एक प्रतिशत के ब्याज की हानि उठानी पड़ती।

कंपनी तथा सरकार के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि सैनीटरी नैपकिन यूनिट स्थापित करने हेतु निर्णय जून 2011 में लिया गया था। कंपनी ने फिर भी, अप्रैल-जून 2012 तक ₹ छ: करोड़ सावधि जमा में रखे और लेखापरीक्षा टिप्पणी जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि से संबंधित हैं।

3.8.5 निधि के गबन के संदेहास्पद मामले

कंपनी, 1 अप्रैल 2007 से राज्य के महिला विद्यार्थियों को बैंक द्वारा दिए गए शिक्षा ऋण पर ब्याज सबसिडी प्रदान कर रही है। प्रक्रिया के अनुसार, कंपनी ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक के नाम पर चैक के माध्यम से लाभग्राही की ओर से पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज का भुगतान करती है।

पानीपत के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान एक विशिष्ट मामला देखा गया जिसमें 47 भिन्न लाभग्राहियों की ₹ 10.90 लाख की ब्याज सबसिडी राशि एक बैंक के एक ही खाते में जमा करवाई गई जो संदेहास्पद हो सकता था।

कंपनी तथा सरकार ने बताया (जुलाई, नवंबर 2014 तथा मार्च 2015) कि जिला प्रबंधक को चार्ज शीट कर दिया गया था। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

इस प्रकार, कंपनी अनुसूचित जाति लाभग्राहियों के लिए प्राप्त निधियां संवितरित करने में विफल रही। इसने फालतू निधियों के निवेश के लिए राज्य सरकार दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। निधियों के अनुचित प्रबंधन के कारण, कंपनी को ₹ 13.74 लाख के ब्याज की हानि उठानी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त वहां ₹ 10.90 लाख का संदेहास्पद गबन था।

मामला, कंपनी तथा सरकार को जून 2014 में सूचित किया गया; उनका उत्तर जुलाई 2014 तथा नवंबर 2014 में प्राप्त किया गया था। उत्तर उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए थे।

¹⁷

₹ 6.31 करोड़ x 8.5 प्रतिशत ब्याज की दर x 9 माह।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड

3.9 कंपनी द्वारा ऋणों की संस्वीकृति, संवितरण तथा वसूली

पांच जिलों में, अपात्र लाभग्राहियों को ₹ 50 लाख की ऋण राशि संस्वीकृत तथा संवितरित की गई। पिछड़े वर्गों के मामले में वसूली की प्रतिशतता 21 एवं 39 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के मामले में 14 एवं 25 प्रतिशत तथा विकलांग व्यक्तियों के मामले में 29 और 35 प्रतिशत के बीच रही थी।

कंपनी 1980 में स्थापित की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य, राज्य में पिछड़े वर्गों (पि.व.), अल्पसंख्यकों (अ.स.) तथा विकलांग व्यक्तियों (वि.व्य.) का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान करना था। कंपनी, सावधिक ऋण, शिक्षा ऋण तथा आवास ऋण (आ.ऋ.) स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा ने, अप्रैल 2009 से मार्च 2014 तक की अवधि की जांच करते हुए 21 जिला कार्यालयों¹⁸ में से पांच तथा मुख्यालय (मुख्या.) पर कंपनी के अभिलेखों की नमूना-जांच की। चयन किए गए पांच जिलों में लेखापरीक्षा आवृत्ति में 2,563 लाभग्राही शामिल थे (संवितरित राशि ₹ 16.67 करोड़)।

3.9.1 लाभग्राहियों की पहचान तथा चयन

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय सहायता निगमों¹⁹ (रा.वि.नि.) ने लाभग्राहियों के चयन के लिए आय एवं जाति को मूल मापदंड के रूप में निर्धारित किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने, लाभग्राहियों की पहचान करने तथा चयन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश नहीं बनाए थे। अभिलेखों की समीक्षा ने प्रकट किया:

- कंपनी ने पि.व. अ.स. तथा वि.व्य. में लक्षित समूहों की पहचान करने के लिए केवल 2009 में एक सर्वेक्षण किया था। इसने कोई जिला स्तरीय डाटा/लक्षित परिवारों की सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुरक्षित नहीं की थी; तथा
- प्राप्त परंतु अस्वीकृत आवेदनों से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे तथा आवेदनों के प्रस्तुतिकरण तथा ऋण संस्वीकृति की तिथियां आवेदन फार्म में दर्ज नहीं की गई थीं। इस प्रकार, आवेदन की तिथि से ऋण की संस्वीकृति तक लिया गया समय लेखापरीक्षा में विश्लेषित नहीं किया जा सका।

कंपनी तथा सरकार ने बताया (अगस्त 2014 तथा जनवरी 2015) कि इसने जून 2008 में दिशानिर्देश बना दिए थे परंतु ये, स्टाफ तथा निधियों की कमी के कारण लागू नहीं किए जा सके।

¹⁸ अंबाला, करनाल, हिसार, सोनीपत तथा गुडगांव।

¹⁹ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम।

3.9.2 राज्य सरकार से ब्याज छूट सबसिडी का अधिक दावा

राज्य सरकार ने कंपनी को, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के उन लाभग्राहियों के मामले में, जोकि अपने ऋण के भुगतान में रेगुलर थे, उनके ऋण पर ब्याज दर छः प्रतिशत से घटा कर पांच प्रतिशत करने के निर्देश दिए (दिसंबर 2005)। यह लाभ अंतिम किश्त के भुगतान के समय पर दिया जाना था तथा कंपनी को सबसिडी के रूप में प्रतिपूरित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने ब्याज की कम की गई दर का लाभ सभी लाभग्राहियों को, उनकी पात्रता को ध्यान में न रखते हुए, दे दिया तथा चूककर्ताओं के लिए भी ब्याज सबसिडी का दावा किया। इस कारण इसने राज्य सरकार से 2005 से 2014 के दौरान ₹ 75.91 लाख सबसिडी के रूप में प्राप्त किए।

कंपनी तथा सरकार ने बताया (अगस्त 2014 तथा जनवरी 2015) कि आवश्यक संशोधित निर्देश फील्ड कार्यालयों को जारी कर दिए गए थे।

3.9.3 अपात्र लाभग्राहियों को सावधिक ऋण की संस्वीकृति तथा सवितरण

सावधि तथा शिक्षा ऋण स्वीकृत करने के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, एक परिवार में केवल एक सदस्य ऋण संस्वीकृति का पात्र है तथा ऋण की अधिकतम सीमा ₹ 10 लाख है। नए ऋण की संस्वीकृति पिछले ऋण की वसूली के बाद ही की जा सकती है। लेखापरीक्षा ने, चयन किए गए पांच जिलों के 378 लाभग्राहियों में से चयन किए गए दो जिलों के 139 लाभग्राहियों के ब्यौरे की नमूना - जांच की तथा निम्नवत् अवलोकित किया:

- i. परिवारों के एक से अधिक सदस्य को ऋण दिए गए; (₹ 20 लाख की राशि से आवेष्टित एक मामला); तथा
- ii. ऋण उनको भी संस्वीकृत किए गए जिनके पहले से विद्यमान ऋणों का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया था (₹ 30 लाख की राशि से आवेष्टित एक मामला)।

3.9.4 वित्तीय सहायता की सवितरण पश्चात् मानीटरिंग

एन.एफ.सी. के दिशानिर्देश, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान की गई निधियाँ केवल अभीष्ट प्रयोजनों हेतु प्रयोग की जाए, स्कीमों की मानीटरिंग की अपेक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा ने स्कीमों के लिए मानीटरिंग प्रणाली की कमी अवलोकित की तथा देखा कि:

- संवितरण - पूर्व तथा संवितरण पश्चात् निरीक्षण से संबंधित अपर्याप्त दस्तावेज बनाए गए थे;
- सावधि ऋण के मामले में लाभग्राहियों द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण - पत्र न तो इनवायसिस द्वारा समर्थित थे और न ही ऋण की उपयोगिता के संबंध में कर्मचारियों द्वारा कोई सत्यापन किया गया था; तथा
- लाभग्राहियों से क्रय की गई परिसंपत्तियों के लिए बीमा कवर केवल प्रथम वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया था। गुडगांव तथा अंबाला जिलों में परिसंपत्ति के क्रय के प्रथम वर्ष में भी बीमा कवर प्राप्त नहीं किया गया था।

कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2014 तथा जनवरी 2015) कि संवितरण - पूर्व तथा संवितरण - पश्चात् निरीक्षण किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फील्ड कार्यालय कोई भी ऐसे निरीक्षण प्रतिवेदन प्रदान करने में विफल रहे।

3.9.5 वसूली निष्पादन

सावधि ऋण तथा शिक्षा ऋण के मामले में पांच वर्षों तथा आवास ऋण के मामले में 10 वर्षों के मासिक किश्तों में ऋण वसूल किया जाना अपेक्षित था। मार्च 2014 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान देय राशि की वसूली की प्रतिशतता पि.व. के मामले में 21 और 39 प्रतिशत, अ.स. के मामले में 14 और 25 तथा वि.व्य. के मामले में 29 तथा 35 प्रतिशत के बीच रही थी।

कंपनी को ₹ 37.90 लाख की राशि (पि.व.- ₹ 16.02 लाख, अ.स.- ₹ 12.78 लाख तथा वि.व्य. ₹ 9.10 लाख) से आवेष्टित 68 लाभग्राहियों से (पि.व.- 30, अ.स.- 24 तथा वि.व्य.- 14) से एक भी किश्त प्राप्त नहीं हुई थी। पुनः, ₹ 222.68 लाख की राशि (पि.व.- ₹ 104.53 लाख, अ.स.- ₹ 44.26 लाख तथा वि.व्य.- ₹ 73.89 लाख) से आवेष्टित 583 लाभग्राहियों (पि.व.- 193, अ.स.- 103 तथा वि.व्य.- 287) ने अंतिम एक से चार वर्षों के दौरान कोई किश्त जमा नहीं करवाई थी। कंपनी ने इन 651 (68+583) लाभग्राहियों के जमानतियों (सरकारी कर्मचारी सहित) के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी। कंपनी ने नमूना - जांच किए गए चार²⁰ जिलों में 2,283 ऋणियों से, ऋणों के संवितरण के समय, बाद की तिथि वाले चैक प्राप्त किए थे परंतु चूक के मामले में भुगतान के लिए ये चैक कभी प्रस्तुत नहीं किए।

कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2014 तथा जनवरी 2015) कि स्टाफ की कमी के कारण चूककर्त्ताओं के विरुद्ध (गुडगांव को छोड़कर) वसूली नोटिस/अनुस्मारक/कानूनी कार्रवाई, जारी/आरंभ नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चूककर्त्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की अनुपस्थिति में वसूली की आशा नहीं की जा सकती।

3.9.6 आंतरिक नियंत्रण

मुख्यालय द्वारा फील्ड कार्यालय के अभिलेखों तथा ऋणों के संवितरण की जांच के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। इसलिए जिला कार्यालयों द्वारा ऋण की अनियमित संस्वीकृति तथा निर्मुक्ति की संभावना का पता नहीं लगाया जा सका। फील्ड कार्यालयों में कर्तव्यों का कोई पृथक्करण नहीं था तथा एक ही व्यक्ति लेखाकार, कौशियर तथा फील्ड अधिकारी के कर्तव्य निष्पादित कर रहा था जिसमें गबन/दुरूपयोग का जोखिम था। अभिलेख उचित ढंग से अनुरक्षित नहीं किए गए थे। कंपनी के फील्ड कार्यालय तथा मुख्यालय के बीच लेखाओं का मिलान करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

²⁰

अंबाला, करनाल, हिसार तथा सोनीपत।

इस प्रकार, कंपनी ने एक प्रतिशत ब्याज सबसिंडी का लाभ अपात्र लाभग्राहियों को भी दे दिया। कंपनी ने उन परिवारों को तथा लाभग्राहियों को भी बहुगुणा ऋण संवितरित किए जिन्होंने मौजूदा ऋणों का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया था। वसूली की प्रतिशतता कम थी क्योंकि यह 14 से 39 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।

मामला कंपनी तथा सरकार को जून 2014 में भेजा गया था तथा उनके उत्तर अगस्त 2014 और जनवरी 2015 में प्राप्त हुए थे। उत्तर उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए थे।

चण्डीगढ़

दिनांक:

(महुआ पाल)

प्रधान महालेरवाकार (लेरवापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक:

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक - महालेरवापरीक्षक

